ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

सरदार सरोवर परियोजना : निरन्तर विवाद व बढ़ती लागतें

Sardar Sarovar Project: Continuing Disputes and Rising Costs

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

प्रीतिबाला भार्गव
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी, मध्यप्रदेश, भारत

नटवर लाल गुप्ता
प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी, मध्यप्रदेश, भारत

सारांश

जल संरक्षण के उददेष्य से वृहद जल परियोजनाएं निर्मित की जाती हैं। इन परियोजनाओं से एक ओर जहां दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होते हैं, वही दूसरी ओर डूब, विस्थापन, पुनर्वास जैसी चुनौतियां भी सामने आ खडी होती हैं। सरदार सरोवर परियोजना में भी लाभों के साथ – साथ वृहद मात्रा में डूब की त्रासदी देखने को मिलती हैं। अकेले मध्य प्रदेश के लगभग 40000 परिवार इसे स्वयं पर महसूस कर रहे हैं। परियोजना कार्य के क्रियान्वयन में हुई कुछ खामियां विरोधों में बदल चुकी हैं। यह विरोध इतने प्रबल रहे हैं कि बांध निर्माण का कार्य लगभग 6 दशकों तक खिंच गया जिससे लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई।

इस शोध पत्र में इन विवादों, विवादों के कारणो और कारणों के लागत पर प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं।

Large water projects are constructed for the purpose of water conservation. On one hand, while long-term benefits are derived from these projects, on the other hand challenges like drowning, displacement, rehabilitation also arise. The Sardar Sarovar Project also has a large amount of drowning tragedy along with benefits. Around 40000 families in Madhya Pradesh alone are feeling it themselves. Some of the flaws in the implementation of the project work have turned the protests into agitations.The protests have been so strong that the construction of the dam was dragged on for almost six decades, causing a huge increase in costs. In this research paper, the impact on the cost of these disputes, the causes and causes of the disputes have been studied.

मुख्य शब्द : नर्मदा नदी, जल संरक्षण, वृहद बांध परियोजनाएं, सरदार सरोवर परियोजना, बांध विरोध।
Narmada River, Water Conservation, Major Dam Projects, Sardar Sarovar Project, Dam Conflict.

प्रस्तावना

जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों का समुचित दोहन व विकास अति महत्वपूर्ण है इस हेतु संपूर्ण विश्व में कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी सभी नदी घाटियों के विकास के संबंध में योजनाएं बनाई गई हैं। इन्हें बहुउददेश्यीय नदी घाटी परियोजना कहा गया हैं। इनके तहत नदियों पर बांध संरचनाएं (लघु, मध्यम व वृहद) बनाकर वर्षा जल को एकत्रित कर, विभिन्न उददेश्यों में प्रयुक्त किया जा रहा हैं। स्वतंत्रता के समय बांधों की संख्या लगभग 400 थी जो अब बढ़कर लगभग 5000 तक पहुंच चुकी हैं। बांध परियोजनाएं जहां एक ओर बड़ी जल राशि उपलब्ध करवाती हैं, जिन्हें विभिन्न उददेश्यों की पूर्ति में लगाया जाता हैं वहीं दूसरी ओर इनसे डूब विस्थापन जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं फलतः इनका वृहद स्तर पर विरोध होता हैं। जिनका प्रभाव इनकी लागत वृद्धि में स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता हैं।

शोध के उददेश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उददेश्य यह जानना है कि किस प्रकार वृहद परियोजनाएं दूरदर्शी उददेश्यों के साथ बनाई जाती हैं, पर क्रियान्वयन के समय विभिन्न कारणों से विवादों में घिर जाती हैं व उनकी लागत में वृद्धि हो जाती

है। प्रस्तुत शोध पत्र ऐसी ही एक वृहद परियोजना सरदार सरोवर परियोजना पर केंद्रित है जो पर्यावरण, विस्थापन, डूब, लागत–लाभ का विश्लेषण आदि मुद्दों को लेकर अत्यधिक विवादास्पद रही हैं। वर्तमान में भी इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे इसकी लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उददेष्य हैं–

1. सरदार सरोवर परियोजना के विवादों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाष डालना।
2. विवाद के कारणों को समझना।
3. विवादों के कारण परियोजना की लागत पर हुए प्रभाव को समझना।

सरदार सरोवर परियोजना सतत विवाद एवं विरोध

सरदार सरोवर परियोजना प्रारंभ से ही विवादस्पद रही हैं, परियोजना पूर्ण होने में 1961 से 2017 तक लगभग छह दषक लग गए। वर्ष 1961 में शिलान्यास के साथ ही विवादों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहला विवाद बांध की ऊंचाई को लेकर था। प्रारंभ में बांध की ऊंचाई 162 फीट थी जिसे बढ़ाकर 500 फीट किया गया। मध्यप्रदेश इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि उसे डूब व विस्थापन की भयावह त्रासदी झेलनी पड़ती। 1974 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने बांध की ऊंचाई 436 फीट रखने का प्रस्ताव रखा, पर मान्य नहीं हो पाया। राज्यों के बीच मतभेंदो के चलते 1969 में न्यायाधिकरण (NWDT) का गठन किया गया। इसने 10 वर्षों तक अन्वेषण कर 1978 में निर्णय दिया, जो 1979 में अधिसूचित किया गया। यह चारो राज्यों के लिए बंधनकारी हैं। इस पर 2024 के पूर्व पुनर्विचार या निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता हैं।मतभेद केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं थे। डूब, विस्थापन, पुनर्वास, पर्यावरणीय हानि, भ्रष्टाचार आदि को आधार बनाकर 80 के दषक में पुरजोर विरोध हुए। इन विरोधों के बीच आखिरकार अप्रैल 1987 में निर्माण प्रारंभ हुआ।निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही विवादों ने विरोधों का रुप ले लिया। समय–समय पर आंदोलन व रैलियां की जाती रही। यह सिलसिला वर्तमान में भी जारी हैं।

1979 में निमाड़ बचाओ आंदोलन हुआ, जो राजनीतिक कारणों से असफल रहा। 1980 में संघर्ष वाहिनी (गुजरात), 1986 में निर्माण घाटी नवनिर्माण समिति का गठन हुआ। 1985 के सामाजिक आंदोलनो ने सबसे प्रभावपूर्ण संगठन नर्मदा बचाओं आंदोलन को जन्म दिया। स्थानीय आदिवासियों, किसानों, पर्यावरण विदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह समूह नर्मदा नदी पर बने वृहद बांधों के निर्माण के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाता है। सरदार सरोवर परियोजना इस आंदोलन का केंद्र बिंदु रही है। 1989–1990 में क्रमिक भूख हड़ताल, धरना, घेराव, प्रदर्षन आदि होते रहे। जिसके चलते 1990 में बांध पर पुनर्विचार की घोषणा की गई। 1991 में विष्व बैंक ने अपना जांच दल गठित कर बांध की समीक्षा के आदेष दिए। 1994 में विष्व बैंक ने परियोजना से स्वयं को पृथक कर लिया। 1994 में ही नबाओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की व बांध का निर्माण कार्य 80.3 मीटर पर रोक दिया गया। वर्ष 2000 में कोर्ट ने याचिका खारिज कर बांध की ऊंचाई 90 मीटर करने की अनुमति दी। 2001 से 2005 तक पुनः धरना, उपवास, याचिकाएं लगती रहीं फिर भी 2003 में बांध को 100 मीटर करने की अनुमति मिल गयी। वर्ष 2006 में NCA ने बांध की ऊंचाई 121.92 मीटर करने की अनुमति दी। पुनर्वास के मुददों को लेकर एक बार फिर इस निर्णय के विरोध में जंतर–मंतर पर आमरण अनषन, चूल्हा बंद जैसे विरोध प्रदर्षन किए गए। बावजूद इसके 2007 तक बांध 121.2 मीटर ऊंचाई पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। 2014 में अंतिम रुप से बांध की ऊंचाई 138.8 मीटर करने की अनुमति प्रदान की गई व 2017 मेंइसे 163 मीटर ऊंचाई करने का निर्णय लिया गया। इन निर्णयों के बीच वर्तमान में भी प्रदर्शन, बंद, हड़ताल, अनषन लगातार जारी हैं।

परियोजना को लेकर विवाद एवं विरोध के कारण

प्रभावित क्षेत्रो में किए गए सर्वे व एनडीए के प्रकाषनों के माध्यम से उन मुख्य कारणों को समझने का प्रयास किया गया है, जिनकी वजह से परियोजना का विरोध किया जा रहा हैं।

1. परियोजना के विरोध करने का प्रथम कारण परियोजना के डिजाइन को लेकर ही हैं। आलोचकों का मानना है कि परियोजना का प्रारंभिक विश्लेषण ही गलत हैं। नर्मदा नदी में उपलब्ध जल की मात्रा 28 MAF की अपेक्षा 23MAFरहेगी। इस प्रकार यदि आवष्यक जल की पूर्ति ही बांध के लिए ना ही पाए तो बांध से होने वाले लाभों की मात्र कल्पना ही की जा सकती हैं।
2. बांध संबंधी जल ग्रहण क्षेत्र के मानचित्र, वनस्पति, जैविक स्वास्थ, पुनर्वनीकरण, भूकम्पनीयता आदि अध्ययन नहीं किए गए।
3. परियोजना के लाभों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दर्षाया गया हैं। जिन लाभों का सरकार अनुमान लगा रही है वास्तव में वे कभी होंगे ही नहीं। पीने का पानी कभी सूखा ग्रस्त इलाकों तक नहीं पहुंच पाएगा। सिंचाई के लाभ मात्र कोरी कल्पना साबित होंगे, क्योंकि नर्मदा नदी में उपलब्ध जल की मात्रा कभी उस अनुमानित जल को प्राप्त ही नहीं करेगी जिसका अनुमान परियोजना के लिए लगाया गया है।
4. बांध निर्माण में विरोध का एक महत्वपूर्ण कारण पर्यावरण विनाश है। परियोजना की डूब में हजारों हेक्टेयर वन एवं उपजाऊ कृषि भूमि हैं। वन भूमि डूब जाने से इन वनों पर आश्रित वन्यजीवों, आदिवासी जनजातियों का विनाश हुआ है। करोडों रुपए मूल्य की लकड़ी व औषधियां जलमग्न हो गयी हैं।
5. संपूर्ण नर्मदा घाटी अपने आप में समृद्ध इतिहास समाहित किए हुए है। पाषाण युगीन शस्त्र, पुरावशेष, प्राचीन ऐंतिहासिक इमारतें, छतरियां, मंदिर व घाट डूब में हैं, जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी हैं।
6. सरदार सरोवर परियोजना का वृहद मात्रा में विस्थापन के कारण सर्वाधिक विरोध हुआ परियोजना के डूब से 3 राज्यों के लाखों सामान्य जन प्रभावित हुए।
7. ऐसे विस्थापित जो अषिक्षित हैं व आर्थिक रुप से सक्षम भी नहीं है उनके साथ अधिकारियों का अभद्र

व्यवहार रहा हैं। उन्हें संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया जाता।

8. नीति में भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान था। प्रभावितों को भूमि के बदले भूमि तो दी गई लेकिन बंजर भूमि जिस पर कृषि कार्य संभव नहीं हैं।
9. परियोजना की लागत में पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी जल ग्रहण क्षेत्र का विकास आदि की लागत को शामिल ही नहीं किया गया है।

निरंतर विवाद एवं बढ़ती लागतें

परियोजना के कियान्वयन व प्रबंधन को लेकर जो कमिंया रही वही बांध के विरोध का कारण बनी। जिसके कारण बांध के निर्माण में देरी हुई और लागत में भी वृद्धि होती गयी।

Increase in Cost of Dam

S.No.	Year	Cost (in crore rs.)
1	1986-1987	6406.04
2	1991-1992	13180.62
3	1996-1997	22918.50
4	2006-2007	25460.00
5	2008-2009	39240.45 (as approved by the planning commission at 2008-09 price level)
6	Exp. Incurred Aug. 2018	64715.52

Source Annual Report of Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. Gujarat

उपरोक्त तालिका से परियोजना की बढ़ती हुई लागत को समझा जा सकता हैं। योजना को 1986 के मूल्य स्तर के आधार पर 6406.04 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1991–92 में इसे संषोधित किया गया तब इसकी राशि 13180.62 करोड़ रुपए हो गई थी। 1996–97 के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की लागत 22918.50 करोड़ रुपए पहुॅच गई जबकि मार्च 2006 तक परियोजना पर वास्तविक रुप से 21411.05 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। वर्ष 2007 में 121.92 मीटर तक बांध निर्माण की कुल लागत 25460 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। अभी भी बांध को 138 मीटर तक ले जाया जाना शेष था। वर्ष 2008–09 में यह लागत बढ़कर 39240.45 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2017 में 138 मीटर की ऊंचाईतक पहुंचने तक बांध की लागत में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। अगस्त 2018 तक बांध की कुल लागत 64715.52 करोड़ रुपए हो चुकी हैं अर्थात 1987 से 2018 तक बांध के पूर्ण होने तक बांध की लागतो में 58310 करोड़ रुपए की वृद्धि हो चुकी है।

उपसंहार

सरदार सरोवर परियोजना और विवाद इस प्रकार रहे कि षिलान्यास वर्ष 1961 में हुआ और निर्माण कार्य 1987 में प्रारंभ हो सका। निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही 1994 में फिर विवादों के कारण काम रुक गया जो लगातार 5 वर्षों तक बंद रहा। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय अथवा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देशानुसार सीमित रुप से बांध का निर्माण कार्य चलता रहा। यदि परियोजना को लेकर इतने विवाद ना रहे होते तो परियोजना काफी समय पहले पूरी हो चुकी होती। इतने लंबे समय में परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक हैं।

सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर बांध के संबंध में जितने अध्ययन किए गए उतने किसी अन्य परियोजना में नहीं किए गए। जिस प्रकार का उदार पुनर्वास पैकेज विस्थापितों को मुहैया कराया जा रहा है। वैसा पैकेज पहले किसी परियोजना प्रभावित को नहीं मिला। इतने पर भी कटु सत्य यह हैं कि जितने विवाद और असंतुष्टियॉ इस परियोजना के साथ जुड़ी रही भूतकाल की किसी परियोजना के साथ नहीं रही। एक ओर जहां कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों के कारण पूरा सरकारी तंत्र बदनाम हुआ वही दुसरी और डुब प्रभावितों का अशिक्षित होना व योजनाओं की कार्य पद्धति को न समझ पाना विवादो को बढ़ावा देने का मुख्य कारण बना। यहॉ दोनों पक्षों के बीच श्रेष्ठ संप्रेषण तथा आपसी विष्वास की कमी भी दृष्टिगोचर होती है, जिसकी वजह से दोनों पक्ष कभी एकमत नहीं हो पाए और मुद्दें जस के तस बने रहे। कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्री की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रही व बांध की लागत बढ़ती रही।

इसके अतिरिक्त उन लाभों से भी वंचित होना पड़ा जो बांध निर्माण सही समय पर पूर्ण होने पर इतने सालों तक विभिन्न क्षेत्रों को प्राप्त होते। संभवत इन क्षेत्रों का परिदृश्य ही कुछ और होता। बांध की निर्माण लागत में हुई वृद्धि को मौद्रिक रुप से नापना संभव है पर उन लाभों को मौद्रिक रुप में नापना काफी कठिन होगा जो बांध निर्माण समय पर निर्मित होने से विभिन्न क्षेत्रों को मिलते।

इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि सैकड़ो गांवों के हजारों विस्थापितों को बर्बाद कर दिया जाता। निर्धारित मुआवजा प्राप्त करना, उचित पुनर्वास विस्थापितों का अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि जो लोग भविष्य के लाभों के लिए वर्तमान में लागत वहन कर रहे हैं, उन्हें लाभो में भी प्रथम अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कुछ ईमानदार प्रयासों की, जिससे आपसी सहयोग व विश्वास बढ़े ताकि सर्वसम्मति कायम करने में सहायता मिले, किसी प्रकार के अनचाहे विरोध उत्पन्न ना हो।

साथ ही विरोधी संगठनों को ध्यान रखना चाहिए कि विकास परियोजनाएं बहुजन हिताय के उददेश्य से बनाई जाती हैं। अतः जहां तक संभव हो संप्रेषण को माध्यम बनाएं। किसी मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाने से प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं जो कि वर्तमान व भविष्य के लिए उचित नहीं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *समग्र नर्मदा घाटी विकास– नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल*
2. *अभी लड़ाई जारी है– नर्मदा बचाओ आंदोलन*
3. *विस्थापन की त्रासदी– नर्मदा बचाओ आंदोलन*
4. *SSP on river Narmada- Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited*
5. *Status Report*
6. *Expenditure and Receipt : Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited*
7. *Status Report : Narmada Control Authority*
8. *WWW.SardarSrovardam.org*
9. *WWW.irn.org*
10. *WWW.ncaindia.gov.in*